मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 21 सितम्बर, 2020 (भाद्र 30, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत हुई.

सामयिक अध्यक्ष महोदय (श्री रामेश्वर शर्मा) पीठासीन हुए.

1. राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' का समूहगान

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के समूहगान से प्रारम्भ हुई.

2. अध्यक्षीय घोषणा

(1) मुख्य प्रतिपक्षी दल एवं नेता प्रतिपक्ष की घोषणा

सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा इण्डियन नेशनल कांग्रेस दल को सदन का मुख्य प्रतिपक्षी दल एवं उसके नेता श्री कमलनाथ, सदस्य विधान सभा को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की घोषणा की गई.

(2) करोना संक्रमण से बचाव हेतु जारी मापदण्डों का मान. सदस्यों को पालन करना एवं सीट से ही बैठकर कार्यवाही में भाग लेना एवं नियम शिथिल कर कार्यवाही का संचालन

सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि - मध्यप्रदेश विधान सभा का यह सत्र कोरोना महामारी की विषम परिस्थितियों में आहूत किया गया है. वर्तमान में न केवल हमारा प्रदेश और देश अपितु संपूर्ण विश्व समुदाय वैश्विक महामारी कोविड-19 की समस्या से जूझ रहा है ऐसी स्थिति में हमारा यह दायित्व है कि इस वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए समग्र रूप से प्रयास करें, किन्तु संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को भी हमें निभाना है.

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विधान सभा परिसर में माननीय सदस्यों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग, सेनेटाईजेशन एवं काढ़ा आदि के साथ स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी व्यवस्था की गई है साथ ही यहा सभा भवन एवं आसनों को सेनेटाईज किया गया है. सदन में सामाजिक दूरी बनाये रखने हेतु आसनों को परिवर्तित भी किया गया है. सदन में सामाजिक दूरी बनाए रखने हेतु आसनों को भी परिवर्तित किया गया है. माननीय सदस्यों को लाल रंगों से चिन्हित आसन छोड़कर जिन आसनों पर कागज पर क्रमांक चस्पा है उन पर ही बैठना है. कृपया परस्पर दूरी हेतु चिन्हित स्थान पर ही आप बैठें, साथ ही कोरोना महामीरी से बचाव हेतु उक्त व्यवस्था एवं जारी माप दण्डों का पालन करने के साथ सदन की कार्यवाही में भाग लेते समय मास्क का उपयोग करें. इसी आशय से सदन में माननीय सदस्यों की सुरक्षा तथा कार्यवाही को त्वरित ढंग से पूर्ण करने हेतु सर्वदलीय बैठक में सहमति अनुसार सभी पक्षों से उपयुक्त संख्या में सदस्य उपस्थित हुए हैं. अन्य इच्छुक माननीय सदस्यों के लिए एन.आई.सी. केन्द्रों के माध्यम से वर्चुअल उपस्थिति की व्यवस्था की गई है. आशा है हमारा प्रथम प्रयास सफल होगा. आज सुरक्षा के क्रम में सदन में उपस्थित सदस्यगण को अपनी सीट पर बैठकर ही बोलने की विशेष अनुमति दी गई है. अत: आप सीट में बैठकर ही सदन की कार्यवाही में भाग लें.

प्रदेश में कोरोना प्रकरणों की निरंतर वृद्धि असाधारण स्थिति में सहमति अनुसार इस सत्र में आवश्यक वित्तीय तथा विध विषयक महत्वपूर्ण कार्य ही संपादन किया जाना है. परन्तु माननीय सदस्यों के प्रश्न, ध्यानाकर्षण आदि सूचनाओं पर जनकारी विभागों से लिखित रूप में प्राप्त कर सदस्यों को उपलब्ध कराई जा सकेगी. इस परिप्रेक्ष्य में आज तत्संबंधी प्रक्रिया नियम सदन की सहमति की प्रत्याशा में शिथिल कर कार्यवाही का संचालन तथा आवश्यक कार्यों का निष्पादन किया जायेगा.

मुझे विश्वास है कि आप सभा इस व्यवस्था में सहयोग करेंगे और हम इस कोरोना काल में सुरक्षित रहकर अपने कर्तव्य का निर्वहन एवं सत्र संबंधी कार्यवाही कुशलता से संपादित कर सकेंगे. इस अपेक्षा के साथ मैं आप सभी की उत्तम स्वास्थ्य हेतु मंगल कामना करता हूँ.

3. निधन का उल्लेख.

सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोदगार व्यक्त किये गये : -

(1) श्री प्रणब मुखर्जी, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति,
(2) श्री लालजी टंडन, मध्यप्रदेश के राज्यपाल,
(3) श्री मनोहर ऊंटवाल, सदस्य विधान सभा,
(4) श्री गोवर्धन दांगी, सदस्य विधान सभा,
(5) श्री हजारीलाल रघुवंशी, भूतपूर्व उपाध्यक्ष विधान सभा,
(6) श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(7) श्री उदय सिंह पण्ड्या, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(8) श्री चम्पालाल देवड़ा, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(9) श्रीमती देवेन्द्र कुमारी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(10) श्री बलिहार सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(11) श्री बलवीर सिंह कुशवाहा, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(12) श्री घनश्याम प्रसाद जायसवाल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(13) श्री बूंदीलाल रावत, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(14) श्रीमती विमला शर्मा, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(15) श्री मनमोहन शाह बट्टी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(16) श्री चिमनलाल सडाना, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(17) पं. रमाकांत तिवारी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(18) श्री गणेश राम खटीक, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(19) श्री बिन्द्रा प्रसाद साकेत, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(20) श्री अजीत जोगी, छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री,
(21) श्री हंसराज भारद्वाज, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(22) लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद जवान,
(23) जम्मू-कश्मीर के बारामूला में हुए आतंकी हमले में शहीद जवान, तथा
(24) देश एवं प्रदेश में कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के संक्रमण से मृत व्यक्ति.

सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई. सदन द्वारा 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई. दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.20 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11.27 बजे पुन: समवेत हुई.

सामयिक अध्यक्ष महोदय (श्री रामेश्वर शर्मा) पीठासीन हुए.

4. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि एवं विधायी मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार कार्यसूची के पद क्रमांक 2 के उपपद (क) से (छ) में उल्लिखित अध्यादेशों को पटल पर रखे :-

(क) मध्यप्रदेश वित्त अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 1 सन् 2020),
(ख) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 4 सन् 2020),
(ग) मध्यप्रदेश श्रम विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 5 सन् 2020),
(घ) मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 7 सन् 2020),
(ङ) श्रम विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 8 सन् 2020), तथा
(च) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 9 सन् 2020),
(छ) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 10 सन् 2020),

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) डॉ.नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने अधिवक्ता कल्याण संबंधी अधिसूचना, दिनांक 4 मई, 2020 पटल पर रखी.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने संत रविदास म.प्र.हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 37 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा, वर्ष 2017-2018 पटल पर रखा.

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने -

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार -

(i) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 का प्रतिवेदन संख्या-2, एवं

(ii) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र पर प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 का प्रतिवेदन संख्या-3,

(iii) वर्ष 2017-18 के लिए आर्थिक क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, वर्ष 2020 का प्रतिवेदन क्रमांक-1, तथा

(iv) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20 का प्रतिवेदन संख्या-2,

(ख) नगरीय निकायों पर संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र. का वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18, एवं

(ग) त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं का संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18,

पटल पर रखे.

(4) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग, भोपाल के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 पटल पर रखे.

(5) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने -

(क) म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18, तथा

(ख) मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16,

पटल पर रखे.

(6) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 पटल पर रखे.

(7) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार -

(क) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संभागों, जिलों, उपखण्डों तथा तहसीलों के परिवर्तन, सृजन तथा समाप्ति) नियम, 2018 में संशोधन,

(ख) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (दखलरहित भूमि, आबादी तथा वाजिब–उल-अर्ज) नियम, 2020,

(ग) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 , तथा

(घ) राजस्व विभाग की अधिसूचना, दिनांक 7 जनवरी, 2020 ,

पटल पर रखी.

(8) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18, तथा

(ख) जिला खनिज प्रतिष्ठान, जिला पन्ना का वर्ष 2017-18 एवं जिला कटनी, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा तथा नीमच के वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन,

पटल पर रखे.

(9) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित प्रतिवेदन -

(क) मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-2019,

(ख) मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का 17 वां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2018-2019,

(ग) शहपुरा थर्मल पॉवर कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-2019,

(घ) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 17 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-2019,

(ङ) बाणसागर थर्मल पॉवर कम्पनी लिमिटेड का 8 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-2019,

(च) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल का 17 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-2019,

(छ) एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का 13 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-2019 तथा

(ज) ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(i) क्रमांक 1780-म.प्र.वि.नि.आ.2019, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019,

(ii) क्रमांक 234/मप्रविनिआ/2020, दिनांक 6 फरवरी, 2020,

(iii) क्रमांक 342/मप्रविनिआ/2019, दिनांक 7 मार्च, 2019,

(iv) क्रमांक 834-मप्रविनिआ-2019, दिनांक 12 जून, 2019,

(v) क्रमांक 1322/मप्रविनिआ/2019, दिनांक 25 सितम्बर, 2019,

(vi) क्रमांक 343/मप्रविनिआ/2019, दिनांक 7 मार्च, 2020,

(vii)क्रमांक 300/मप्रविनिआ/2020, दिनांक 20 फरवरी, 2020,

पटल पर रखीं.

(10) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 55 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17, तथा

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार -

(i) मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 34 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18,

(ii) भोपाल इलेक्ट्रानिक्स मेन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18, तथा

(iii) जबलपुर इलेक्ट्रानिक्स मेन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18,

पटल पर रखे.

(11) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 में किये गये संशोधन की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-3-2020-पन्द्रह-एक, दिनांक 26 अगस्त, 2020 पटल पर रखी.

(12) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 47 की अपेक्षानुसार –

(i) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) का 62 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19,

(ii) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) का 47 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19,

(iii) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19,

(iv) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19,

(v) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) का 51 वां प्रगति प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19, तथा

(vi) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19,

(ख) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, करौंदी, जिला-कटनी (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19,

(ग) महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19,

(घ) म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19,

(ङ) पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल (मध्यप्रदेश) का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19,

(च) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2018-19,

(छ) महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, जिला-सतना (मध्यप्रदेश) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19, तथा

(ज) महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (मध्यप्रदेश) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19,

पटल पर रखे.

(13) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने - कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) एम.पी.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) लिमिटेड, इन्दौर का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18,

(ख) मध्यप्रदेश प्लास्टिक सिटी डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ग्वालियर लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2016-17,

(ग) इण्डस्ट्रिअल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन (ग्वालियर) म.प्र. मर्यादित का 32 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2016-17,

(घ) एम.पी. इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 39 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वित्तीय वर्ष 2015-16,

(ङ) डी.एम.आई.सी.पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 एवं डी.एम.आई.सी.विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19, तथा

(च) मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड का 36 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा वित्तीय वर्ष 2017-18,
पटल पर रखे.

(14) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने एन.एच.डी.सी. लिमिटेड का 18 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 पटल पर रखा.

(15) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने -

(क) स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-37-2-2020-बीस-3, दिनांक 2 मार्च, 2020,

(ख) समग्र शिक्षा अभियान मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वर्ष 2018-19, तथा

(ग) मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वर्ष 2018-19,
पटल पर रखे.

6. दिसम्बर, 2019 - जनवरी, 2020 सत्र की प्रश्नोत्तरी तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-3 तथा मार्च, 2020 सत्र की प्रश्नोत्तरी तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-4 पटल पर रखा जाना.

सामयिक अध्यक्ष महोदय ने दैनिक कार्यसूची के पद क्रमांक 4 में अंकित दिसम्बर, 2019 - जनवरी, 2020 सत्र की प्रश्नोत्तरी तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-3 तथा मार्च, 2020 सत्र की प्रश्नोत्तरी तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-4 पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

7. नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2019 - जनवरी, 2020 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

सामयिक अध्यक्ष महोदय ने दैनिक कार्यसूची के पद क्रमांक 5 में अंकित नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2019 - जनवरी, 2020 सत्र में पढ़ी गई शून्यकाल सूचनाएं तथा उनके संबंध में शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

8. नियम 267-क के अधीन विषय

सामयिक अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की निम्नांकित 8 माननीय सदस्यों की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाएंगी.

(1) श्री संजय यादव, सदस्य की मध्यप्रदेश में हुई भारी बारिश से नष्ट हुई फसलों की भरपाई हेतु भावांतर योजना अथवा समर्थन मूल्य पर मक्के की खरीदी की जाने,

(2) श्रीमती कृष्णा गौर, सदस्य की भोपाल शहर भेल क्षेत्र हथाई खेड़ा डेम पर बने पुल के रख-रखाव में विभागीय अधिकारियों द्वारा उदासीनता वरती जाने,

(3) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य की मध्यप्रदेश ग्राम सरोवर योजना अंतर्गत किए गये सरोवर निर्माण का ठेकेदारों के लंबित देयकों का विभाग द्वारा भुगतान न किये जाने,

(4) श्री विजय राघवेन्द्र सिंह, सदस्य की कटनी नगर पालिका निगम द्वारा गरीबों के रहने के लिए बनाये जा रहे मकानों का निर्माण कार्य में लापरवाही के कारण हितग्राहियों को आवंटन न मिलने,

(5) श्री महेश परमार, सदस्य की उज्जैन जिले के अंतर्गत गौशालाओं में गायों की मौत होने,

(6) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की ग्राम झरन्या तहसील जीरापुर में लटकते तारों से बालिकाओं की करंट लगने से मृत्यु होने,

(7) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, रायसेन जिले में पेंशन राशि का भुगतान न होने तथा

(8) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य की प्रदेश में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने में नियम में संशोधन न किये जाने,

9. राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के विगत सत्र में पारित 15 विधेयकों को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो गई हैं, जिनके नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं. इन विधेयकों को नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :-

क्र.	राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
1.	मध्यप्रदेश माल और सेवाकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 39 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2020
2.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-7) विधेयक, 2019 (क्रमांक 33 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 2 सन् 2020
3.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-8) विधेयक, 2019 (क्रमांक 34 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 3 सन् 2020
4.	मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 32 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 4 सन् 2020
5.	मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 28 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 5 सन् 2020
6.	मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 29 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 6 सन् 2020
7.	महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 30 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 7 सन् 2020
8.	मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय उपक्रम (अर्जन) निरसन विधेयक, 2019 (क्रमांक 36 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 8 सन् 2020
9.	मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 9 सन् 2020
10.	मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2019 (क्रमांक 37 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 10 सन् 2020
11.	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 38 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 11 सन् 2020
12.	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 31 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 12 सन् 2020
13.	मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 27 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 13 सन् 2020
14.	मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 40 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2020
15.	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 35 सन् 2019)	अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2020

10. विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि – (1) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 5-सुमावली से निर्वाचित सदस्य श्री एदल सिंह कंषाना, (2) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 6-मुरैना से निर्वाचित सदस्य श्री रघुराज सिंह कंषाना, (3) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 7-दिमनी से निर्वाचित सदस्य श्री गिर्राज डण्डौतिया, (4) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 8-अम्बाह (अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य श्री कमलेश जाटव, (5) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 12-मेहगांव से निर्वाचित सदस्य श्री ओ.पी.एस.भदौरिया, (6) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 13-गोहद(अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य श्री रणवीर जाटव, (7) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 16- ग्वालियर(पूर्व) से निर्वाचित सदस्य श्री मुन्नालाल गोयल, (8) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 21-भाण्डेर(अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य श्रीमती रक्षा संतराम सरौनिया, (9) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 23- करेरा(अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य श्री जसमंत जाटव छितरी, (10) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 24- पोहरी से निर्वाचित सदस्य श्री सुरेश धाकड़ (राठखेड़ा), (11) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 32- अशोकनगर(अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य श्री जजपाल सिंह (जज्जी),

(12) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 34- मुंगावली से निर्वाचित सदस्य श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, (13) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 87- अनूपपुर(अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य श्री बिसाहूलाल सिंह, (14) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 172- हाटपीपल्या से निर्वाचित सदस्य श्री मनोज नारायण सिंह चौधरी, (15) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 202- बदनावर से निर्वाचित सदस्य श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव (16) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 226- सुवासरा से निर्वाचित सदस्य श्री हरदीपसिंह डंग, ने विधान सभा के अपने-अपने स्थान से त्याग-पत्र दे दिया है. उक्त सभी त्याग-पत्र दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्वीकृत किये गये हैं, तथा

(17) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 53- मलहरा से निर्वाचित सदस्य कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी, (18) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 179-नेपानगर(अजजा) से निर्वाचित सदस्य श्रीमती सुमित्रा देवी कास्डेकर, (19) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 175-मांधाता से निर्वाचित सदस्य श्री नारायण पटेल ने विधान सभा के अपने-अपने स्थानों से त्याग-पत्र दे दिया है, जिसे मेरे द्वारा क्रमश: दिनांक 12 जुलाई, 17 जुलाई एवं 23 जुलाई, 2020 को स्वीकार किया गया है.

11. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

सामयिक अध्यक्ष महोदय ने श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री को स्वास्थ्यगत कारणों से सितम्बर, 2020 के सत्र में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की.

12. अध्यक्षीय घोषणा

(1) सदन की कार्यवाही में विभिन्न जिलों के माननीय सदस्य द्वारा वर्चुअल रूप से ऑनलाईन भाग लिया जाना

सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि - आज की इस बैठक में (1) डॉ. अशोक मर्सकोले (मंडला), (2) श्री नारायण सिंह पट्टा, (बिछिया-मण्डला), (3) श्री अर्जुन सिंह काकोड़िया (सिवनी), (4) श्री बिसाहूलाल सिंह (अनूपपुर), (5) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (पुष्पराजगढ़-कटनी), (6) श्री सुशील कुमार तिवारी (पनागर-जबलपुर), (7) श्री विनय सक्सेना (जबलपुर-उत्तर), (8) श्री अजय विश्नोई (पाटन-जबलपुर), (9) श्रीमती नंदनी मरावी (सिहोरा-जबलपुर), (10) ठाकुर सुरेन्द्र सिंह नवल सिंह (बुरहानपुर), (11) श्री प्रताप सिंह ग्रेवाल (सरदारपुर-धार), (12) श्री पांचीलाल मेड़ा (धरमपुरी-धार), (13) श्री राकेश कुमार शुक्ला (बिजाबर-छतरपुर), (14) सुश्री हिना लिखीराम कावरे (लांजी-बालाघाट), श्री राम किशोर कावरे (परसवाड़ा-बालाघाट), (15) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (वारासिवनी-बालाघाट), (16) श्री श्यामलाल द्विवेदी (त्यौथर-रीवा), (17) श्री राम दांगोरे (पंधाना-खण्डवा), (18) श्री केदार चिड़ाभाई डाबर (भगवानपुरा-खरगौन), (19) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी (खरगौन), (20) श्री सुनील उईके (जुन्नारदेव-छिन्दवाड़ा), (21) श्री कमलेश प्रताप शाह (अमरवाड़ा-छिन्दवाड़ा), (23) श्री नीलेश पुसाराम उईके (पांढुर्ना-छिन्दवाड़ा) ने वर्चुअल रूप से सदन की कार्यवाही में ऑनलाईन भाग ले रहे है और उनकी वर्चुअल उपस्थिति को मान्य किया गया है.

(2) वर्ष 2012-2013 के आधिक्य व्यय के विवरण का उपस्थापन, तत्संबंधी अनुदानों की मांगों पर मतदान तथा मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2020 का आज ही पुर:स्थापन, विचार एवं पारण किया जाना

सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की कि - वर्ष 2012-2013 के आधिक्य व्यय के विवरण का उपस्थापन, तत्संबंधी अनुदानों की मांगों पर मतदान तथा मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2020 (क्रमांक 19 सन् 2020) के पुर:स्थापन, विचार एवं पारण के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि उक्त वित्त वर्ष में विभागों द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त आधिक्यों की पूर्ति हेतु सदन की लोक लेखा समिति द्वारा इसका परीक्षण किया जाकर अनुशंसा तथा महालेखाकार एवं वित्त विभाग द्वारा सहमति के उपरांत व्यय हुई अतिरिक्त धन राशि के नियमितीकरण के लिए सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है. अत: मैंने आज ही उक्त विधेयक के पुर:स्थापन, विचार एवं पारण हेतु अनुज्ञा प्रदान की है.

13. वर्ष 2012-2013 के आधिक्य व्यय के विवरण का उपस्थापन

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने राज्यपाल महोदया के निर्देशानुसार, वर्ष 2012-2013 के आधिक्य व्यय के विवरण का उपस्थापन किया.

14. वर्ष 2012-2013 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि –

" दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 10 एवं 24 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त आधिक्य व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदया को चौबीस लाख, छब्बीस हजार, एक सौ नवासी रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय. "

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.
अधिकाई मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

15. शासकीय विधि विषयक कार्य.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- 2) विधेयक, 2020 (क्रमांक 19 सन् 2020) पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. नरोत्तम मिश्र ने, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- 2) विधेयक, 2020 (क्रमांक 19 सन् 2020) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

16. अध्यक्षीय घोषणा

वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर मतदान, तत्संबंधी विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण की अनुज्ञा प्रदान की जाना

सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची के पद क्रमांक - 11 एवं 12 के संबंध में स्थिति यह है कि यह सत्र विशेष परिस्थितियों में आहूत किया गया है एवं वित्तीय वर्ष 2020-2021 की अवधि में होने वाले आवश्यक व्ययों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश अध्यादेश क्रमांक-6 सन् 2020 के माध्यम से प्रावधान किया गया था. संवैधानिक व्यवस्था एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अध्यादेश में अंकित धनराशि की स्वीकृति इस सदन से ली जा रही है. अध्यादेश के माध्यम से प्रावधानित धन राशि एवं विनियोग के माध्यम से स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि एक समान ही है.

अत: वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर मतदान, तत्संबंधी विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण आज ही कराये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है.

17. वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक का उपस्थापन

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने (वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में) माननीय राज्यपाल महोदया के निर्देशानुसार, वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक का उपस्थापन किया एवं मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत राजकोषीय नीति का विवरण तथा मध्यप्रदेश विनियोग अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 6 सन् 2020) पटल पर रखे.

18. अध्यक्षीय घोषणा

वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की कि - आय-व्ययक के उपस्थापन के पश्चात् विभागीय मंत्रियों की अनुदान मांगों पर चर्चा की जाती है, किन्तु कोविड-19 के व्यापक संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मंत्री जी विभागों की सभी अनुदान मांगें एक साथ प्रस्तुत करेंगे तथा उन पर एक साथ मत लिया जाएगा.

19. वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में उल्लिखित अनुदानों की मांगें पर मतदान

मांग संख्या – 01	सामान्य प्रशासन
मांग संख्या – 02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
मांग संख्या – 03	पुलिस
मांग संख्या – 04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय
मांग संख्या – 05	जेल
मांग संख्या – 06	वित्त
मांग संख्या – 07	वाणिज्यिक कर
मांग संख्या – 08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन
मांग संख्या – 09	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा
मांग संख्या – 10	वन
मांग संख्या – 11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन
मांग संख्या – 12	ऊर्जा
मांग संख्या – 13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मांग संख्या – 14	पशुपालन
मांग संख्या – 15	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जनजाति कल्याण
मांग संख्या – 16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास
मांग संख्या – 17	सहकारिता
मांग संख्या – 18	श्रम
मांग संख्या – 19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मांग संख्या – 20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
मांग संख्या – 21	लोक सेवा प्रबंधन
मांग संख्या – 22	नगरीय विकास एवं आवास
मांग संख्या – 23	जल संसाधन
मांग संख्या – 24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल
मांग संख्या – 25	खनिज साधन
मांग संख्या – 26	संस्कृति
मांग संख्या – 27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)
मांग संख्या – 28	राज्य विधान मंडल
मांग संख्या – 29	विधि और विधायी कार्य
मांग संख्या – 30	ग्रामीण विकास
मांग संख्या – 31	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी
मांग संख्या – 32	जनसम्पर्क
मांग संख्या – 33	आदिमजाति कल्याण
मांग संख्या – 34	सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण
मांग संख्या – 35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

मांग संख्या – 36	परिवहन
मांग संख्या – 37	पर्यटन
मांग संख्या – 38	आयुष
मांग संख्या – 39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
मांग संख्या – 40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)
मांग संख्या – 41	प्रवासी भारतीय
मांग संख्या – 42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास
मांग संख्या – 43	खेल एवं युवा कल्याण
मांग संख्या – 44	उच्च शिक्षा
मांग संख्या – 45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य
मांग संख्या – 46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
मांग संख्या – 47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार
मांग संख्या – 48	नर्मदा घाटी विकास
मांग संख्या – 49	अनुसूचित जाति कल्याण
मांग संख्या – 50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण
मांग संख्या – 51	अध्यात्म
मांग संख्या – 52	चिकित्सा शिक्षा
मांग संख्या – 53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
मांग संख्या – 54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा
मांग संख्या – 55	महिला एवं बाल विकास
मांग संख्या – 56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग
मांग संख्या – 57	पर्यावरण
मांग संख्या – 58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय
मांग संख्या – 59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
मांग संख्या – 60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
मांग संख्या – 61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय
मांग संख्या – 62	पंचायत
मांग संख्या – 63	अल्प संख्यक कल्याण
मांग संख्या – 64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
मांग संख्या – 65	विमानन
मांग संख्या – 66	पिछड़ा वर्ग कल्याण
मांग संख्या – 67	लोक निर्माण कार्य-भवन

सामयिक अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - विधान सभा का यह सत्र विशेष परिस्थिति में हो रहा है अत: विषय के महत्व, उपादेयता एवं तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में सम्मिलित सभी विभागों की अनुदानों की मांगें मा. संसदीय कार्य मंत्री जी एक साथ प्रस्तुत करेंगे तथा उन पर एक साथ मत लिया जाएगा.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को – अनुदान संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 एवं 67 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को अनुदानों की मांगों एवं विनियोगों की अनुसूची के स्तम्भ 3 में वर्णित अनुदानों की राशि रूपये दो लाख, पांच हजार तीन सौ सतानवे करोड़, उनचास लाख, छियानवे हजार दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री कमलेश्वर पटेल, बृजेन्द्र सिंह राठौर, लक्ष्मण सिंह एवं पी.सी. शर्मा सदस्यगण ने आसंदी से अनुरोध किया कि यह पूरे वर्ष का बजट है इसलिये इसमें कम से कम 1 या 2 माननीय सदस्यों को 5-5 मिनट का बोलने का अवसर प्रदान किया जाए. साथ ही यदि ऐसा नहीं करते है तो जो सदस्य यहां पर उपस्थित नहीं है उनके क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाए. क्योंकि आप केवल 27 जगह पर पैसा खर्च कर रहे हैं, साथ ही यदि माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना संक्रमण के रोकथाम के बारे में उन्होंने प्रदेश में जो व्यवस्थाएं की हैं, उससे भी सदन को अवगत करादें तो उचित होगा. श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य ने नवरात्रि पर्व में 10 फिट की मूर्ति बनाने की अनुमति देने एवं श्रीमती सुनीता पटेल (गाड़रवारा), सदस्या द्वारा धरने पर बैठी है. माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी समस्या का भी निराकरण करा दें.

डॉ, नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष एवं सदन के नेता की उपस्थिति में सहमति व्यक्त की गई थी कि किसी भी सदस्य को बोलने का अवसर नहीं दिया जाये.

श्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि मैं संसदीय कार्य मंत्री की बात से सहमत हूँ किन्तु सर्वदलीय बैठक में डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य नहीं आ पाये थे यदि सदस्यगण को बोलने की मंशा है तो आसंदी इस पर विचार कर ले. नहीं तो हम लोग लिखित में भेज देंगे और उसे रिकार्ड में सम्मिलित कर लिया जाए.

श्री गोपाल भार्गव, लोक निर्माण मंत्री एवं विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने उल्लेख किया कि 67 विभागों की मांगों पर यदि 5-5 मिनट या 10-10 मिनट दिया जायेगा तब तो यह सत्र एक सप्ताह तक चलेगा. जबकि कोरान संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए हमने सत्र को सीमित किया है. जिसका कोई औचित्य नहीं रह जायेगा.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष के सुझाव की माननीय सदस्यगण की लिखित बातों को रिकार्ड में सम्मलित किया जाए. जिससे उनका उद्देश्य भी पूरा हो जायेगा और हम लोगों ने सर्वसम्मति से जो तय किया था उसका भी सम्मान बरकरार रहेगा.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया.

अनुदान मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

20. अध्यक्षीय घोषणा

नियम शिथिल कर विधेयकों के पुर:स्थापन, विचार एवं पारण आज ही किया जाना

सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की कि - आज की दैनिक कार्यसूची में वित्त विधेयक एवं विनियोग विधेयकों के अतिरिक्त अन्य 2 शासकीय विधेयक पुर:स्थापन, विचार एवं पारण के लिए सम्मिलित किये गये हैं चूंकि यह सत्र विशेष परिस्थितियों में हो रहा है अत: शासकीय विधेयकों की महत्ता, उपादेयता एवं पारण हेतु तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी आदेश की कंडिका-24 तथा मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के परन्तुक में विद्यमान अपेक्षाओं को शिथिल कर मैंने आज की कार्यसूची में सम्मिलित इन विधेयकों के आज ही पुर:स्थापन, विचार एवं पारण में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है.

21. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2020 (क्रमांक 18 सन् 2020) पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3, 4 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. नरोत्तम मिश्र ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2020 (क्रमांक 18 सन् 2020) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश वित्त विधेयक, 2020 (क्रमांक 17 सन् 2020) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. नरोत्तम मिश्र ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वित्त विधेयक, 2020 (क्रमांक 17 सन् 2020) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 12 सन् 2020) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. नरोत्तम मिश्र ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 12 सन् 2020) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(4) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 13 सन् 2020) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 14 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. नरोत्तम मिश्र ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 13 सन् 2020) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(5) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास और आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 15 सन् 2020) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा 4 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री भूपेन्द्र सिंह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 15 सन् 2020) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(6) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राज्सव मंत्री ने मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 7 सन् 2020) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3, 4 तथा 5 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 7 सन् 2020) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(7) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री ने मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक, 2020 (क्रमांक 16 सन् 2020) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 9 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक, 2020 (क्रमांक 16 सन् 2020) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

श्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष, श्री सज्जन सिंह वर्मा, श्री के.पी. सिंह, सदस्यगण ने कोराना संक्रमण पर माननीय मुख्यमंत्री से वक्तव्य देने की मांग की गई.

22. मुख्यमंत्री का वक्तव्य

मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण होना

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने वक्तव्य दिया कि – "इस समय हमारा प्रदेश, देश और पूरी दुनिया एक ला-इलाज बीमारी कोविड-19 के संक्रमण से जूझ रही है. 24 मार्च से प्रदेश में भी लॉक डाउन लगा उससे कोरोना संक्रमण कुछ नियंत्रित हुआ परन्तु इससे हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई. आर्थिक गतिविधियां चौपट हो गई इसलिए लॉक डाउन की बजाय फिर अनलॉक की तरफ हमें जाना पड़ा और 6 माह से मैं कोविड-19 की समीक्षा अपनी टीम के साथ लगातार कर रहा हूं. आज तक प्रदेश में कुल 1,08167 पोजीटिव है. इनमें से 83618 अर्थात 77% से अधिक रोगी स्वस्थ होकर अपने घर चले गये है और आज प्रदेश में 22542 एक्टिव प्रकरण है. बांकी राज्यों से हम 16वें स्थान पर है और अब तक 2007 मरीजों की मृत्यु हुई है. जो संक्रमित प्रभावित मरीजों का 1.86% है. पहले टेस्टिंग झमता 300 थी जिसे बढ़ाकर हमने 29780 प्रतिदिन किया है. पहले 3 लैब की बजाय आज 78 लैब है जिनसे प्रति दस लाख व्यक्तियों पर 22160 टेस्ट हम प्रतिदिन कर रहे है. उनमें 751 सीवर क्लीनिक भी प्रदेश में शुरू किये है और अब प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में वेंटीलेटर, मास्क, टेस्टिंग किट की व्यवस्था की गई है. पहले जनरल बेड्स की संख्या 2428 थी जिसे हमने बढ़ाकर 24650 और ऑक्सीजन यक्त बैड संख्या 5983 से बढ़ाकर 7000 की गई है. आई.सी.यू. बैड की संख्या 537 से बढ़ाकर 681 की है. हमने आईशोलेशन बैड सरकारी अस्पताल के साथ साथ प्रायवेट अस्पतालों में भी बढ़ाने का प्रयास किया है".

श्री कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष एवं श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य ने उल्लेख किया कि – "प्रायवेट अस्पतालों में लापरवाही हो रही है और जो मरीज संक्रमित नहीं है उन्हें भी कोराना संक्रमित बता दिया जाता है. भर्ती मरीजों को इलाज की कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है, इसलिए आप कोई शिकायत पक्ष बनाइए जहां लोग प्रायवेट अस्पतालों की शिकायत कर सकें. साथ ही इन अस्पतालों द्वारा जो इलाज का चार्ज ज्यादा लिये जा रहे है वो न लेकर पूर्व में जैसा नि:शुल्क इलाज चल रहा था वैसा ही चले".

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने अवगत कराया कि – "इस बीमारी की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी, कोई इलाज नहीं था और न ही इसकी कोई वैक्शीन बनी थी फिर भी हमने बेहतर प्रयास किया है. इस बीमारी से हमारे डॉक्टर्स, पेरामेडीकल स्टॉफ भी संक्रमित होते है और उनका मनोबल भी न गिरे इसके लिए हमें एक संकलित दृष्टिकोण अपनाना होगा फिर भी कहीं कोई स्पेसिफिक शिकायत होगी तो कार्यवाही भी होगी. इस हेतु हम सबको मिलकर काम करना होगा तभी हम इस महामारी का मुकाबला कर पायेंगे. हमने ऑक्शीजन की उपलब्धता 50 टन से बढ़ाकर 130 टन कर दी है और 30 सितम्बर तक इसे 150 टन कर लेंगे. भारत सरकार से भी प्रतिदिन 50 टन अतिरिक्त ऑक्शीजन प्राप्त हुई है. हम बाबई और मुहासा में ऑक्शीजन प्लांट लगाने का प्रयास कर रहे हैं. इस में कुछ सावधानियां आवश्यक है यदि मास्क का उपयोग और निश्चित दूरी का पालन होगा तो इस बीमारी से बचा जा सकता है और इसमें पक्ष और विपक्ष के साथ-साथ हमें धार्मिक, सामाजिक एवं अन्य संगठनों से सहयोग मिल रहा है और इस महामारी से निश्चित तौर पर हम लोग एक दिन जरूर जीतेंगे".

23. विधान सभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना : प्रस्ताव

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के समक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि – "वर्तमान सितम्बर-2020 सत्र के लिए निर्धारित समस्त वित्तीय एवं अन्य आवश्यक शासकीय कार्य पूर्ण हो चुके हैं. अत: मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियमावली के नियम 12-ख के द्वितीय परंतुक के अंतर्गत मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन की कार्यवाही का समापन किया जाकर तुदुपरांत बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाये."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

सामयिक अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

24. राष्ट्रगान "जन गण मन" का समूहगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूहगान किया गया.

25. विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना : घोषणा

अपराह्न 12.28 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक: 21 सितम्बर, 2020.